न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भदेसर जिला चित्तौड़गढ़ राज0

पीठासीन अधिकारी– श्री मांगीलाल रेगर , आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या– 72/2017(प्रा.प) दिनांक 22–01–2018

र्थना पत्र प्रस्तोता– हरलाल पिता चुन्नीलाल जाट निवासी धनेत

प्रकरण –अनवान

1. श्रीमति सोहनी बेवा भगवाना जाट निवासी धनेत तहसील भदेसर व अन्य

.................वादी

|| बनाम ||

1. श्री गोटू पिता भागीरथ जाट निवासी धनेत तहसील भदेसर व अन्य

.... प्रतिवादीगण

करण संख्या 82/95 (वाद) न्यायालय उपखण्ड अधिकारी निम्बाहेड़ा निर्णय दिनांक 29.12.1999 एव 15.01.2001
करण संख्या 204/2007 (अपील) , एवं 231/2007 (अपील) न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी चित्तौडगढ निर्णय दिनांक 20.06.2012
करण संख्या 151/2012 (वाद) न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भदेसर निर्णय दिनांक 03.05.2017

प्रार्थना पत्र राजस्व रेकार्ड की वाद पत्र के पूर्व की स्थिति दर्ज किये जाने बाबत अनतर्गत धारा 144 जा0दी0

उपस्थित– श्री छोगालाल जाट पंवार वकील प्रार्थी/विपक्षी
श्री जगदीश मेनारिया वकील विपक्षी/प्रार्थीगण

सारांश मामला इस प्रकार है कि उपरोक्त अनवानित प्रकरण में प्रार्थी हरलाल पिता चुन्नीलाल जाट निवासी धनेत द्वारा प्रा[illegible] प्रस्तुत किया गया कि –

1. यह कि वादीया सोहनीबाई ने मौजा धनेत तह[illegible] भदेसर की साबिक आराजी नम्बर 287, 288/1, 283/3, 299, 305/1, 4[illegible] कुल [illegible] 5 बीघा 17 बिस्वा एवं मौजा धनेत की साबिक आराज़ी नम्बर 414, 415, 435/1, 471, 472, 473, कुल [illegible] 12 बीघा 5 बिस्वा जो चाह नम्बर 469 से पीवल होना बताते हुए वादीगण सोहनी व जमनी का 1/3

Signature Not Verified
Digitally signed by Anju Sharma
Date: 2021.03.17 17:18:23 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

हिस्सा , प्रतिवादी गोटू का 1/3 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 2, 3 नारायण उदयलाल का 1/3 व प्रतिवादी संख्या 2 ने अपना 1/3 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 3 को पंजीकृत दस्तावेज दिनांक 25--5--95 को विकय करना बताते हुए वाद प्रस्तुत किया गया ।

2. यह कि वाद पत्र न्यायालय उपखण्ड अधिकारी निम्बाहेडा द्वारा दिनांक 29-12.99 को प्राथमिक डिकी किया गया व प्राथमिक डिकी की पालना में फर्द बंटवारा मंगवाया जाकर दिनांक 15-1-2001 को अन्तिम निर्णय एवं डिकी पारित की गई । अंतिम निर्णय व डिकी की ईजराय प्रस्तुत की गई । जिसकी पालना में नामान्तरकरण स्वीकृत किया जाकर प्रार्थी हरलाल का ना राजस्व रेकार्ड से हटा दिया गया जबकि वादीया सोहनीबाई ने आराज निम्बर 414, 415 , 436/1 कुल किता 3 कुल रकबा 6 बीघा 14 बिस्वा में से विकेता सोहनी बाई ने प्रार्थी हरलाल को पंजीकृत बहनामा दिनांक 12.1099 से 1/2 हिस्सा व इसी के साथ चाह आ0न0 411, 469, 431 रकबा 2 बीघा भूमि में से सोहनीबाई का हक व हिस्सा प्राथ्र्झी को विकय कर कब्जा दिया गया । ऐसी स्थिति में वादीया विकय शुदा आराजीयात में किसी प्रकार की घोषणा कराने की अधिकारिणी नही थी वक्त वाद पत्र प्रस्तुती प्रार्थी हरलाल आवश्यक पक्षकार था फिर भी उसे पक्षकार मुकदमा बनाये बगैर विकय शुदा आराजीयात की घोषणा व बंटवाडे की डिकी वादीया ने प्राप्त कर ली जिसके विरूद्व प्रार्थी हरलाल ने निर्णय व डिकी के विरूद्व प्रथम अपील राजस्व अपील प्राधिकारी चित्तौडगढ के न्यायालय में अपील कमांक 204 /2007 , 231/2007 प्रस्तुत की गई जो अपील अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ विचारण न्यायालय द्वारा प्राथमिक निर्णय एवं डिकी दिनांक 15. 1.2001 निरस्त की जाकर प्रकरण श्रीमान् के न्यायालय को सुनवाई हेतु प्रतिप्रेषित किया गया है जिस पर श्रीमान् के न्यायालय द्वारा सुनवाई हेतु प्रकरण पुनः दर्ज रजिस्टर्ड किया जाकर साक्ष्य वादी हेतु अन्तिम अवसर दिनांक 03-05-2017 को दिया गया उसके पश्चात भी वादीया की ओर वादीया न तो स्वंय उपस्थिति हुयी और न ही अधिवक्ता उपस्थित हुये न ही साक्ष्य प्रस्तुत की गई । जिससे श्रीमान् न्यायालय द्वारा दिनांक 03-05-2017 को वादीया का वाद पत्र निरस्त किये जाने की निर्णय व डिकी पारित की गई है ऐसी स्थिति मे वादीया का वाद पत्र निरस्त हो जाने से प्रकरण संख्या 82/1995 के पूर्व स्थिति को राजस्व रेकार्ड में दर्ज की जाकर प्रार्थी हरलाल का नाम पुनः दर्ज किया जाना आवश्यक होने से प्रार्थना पत्र प्रार्थी राजस्व रेकार्ड की पूर्व स्थिति दर्ज करायी जाने हेतु पेश है । वाद पत्र के साथ नकल निर्णय उपखण्ड अधिकारी निम्बाहेडा प्रकरण संख्या 82/1995 , नकल निर्णय राजस्व अपील प्राधिकारी चित्तौडगढ प्रकरण संख्या डी. 204/2007, डी. 231/2007 निर्णय दिनांक 20.6. 2012 एवं प्रकरण संख्या 151/2012 निर्णय दिनांक 3.05-2015 एवं नक्शा ट्रेस मौजा धनेत नकल जमाबन्दी संवत् 2072 से 75 , नकल जमाबन्दी संवत् 2047 से 50 खाता संख्या 55 की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत की गई है ।

Signature Not Verified

Digitally signed by Anju Sharma
Date: 2021.03.17 17:18:23 IST
Reason: SelfAttested

अतः प्रार्थना पत्र ... किया जाकर फरमाया जाकर राजस्व रेकार्ड में वाद पत्र के पूर्व स्थिति ... मौजा धनेत की आ0न0 414, 415,

उपखण्ड अधिकारी
बडीसादड़ी, चित्तौडगढ

Scanned by CamScanner

436/1 कुल किता 3 कुल रकबा 6 बीघा 14 बिस्वा व आ0चाह में विक्रेता का हक व हिस्सा पुनः प्रार्थी हरलाल के नाम पर दर्ज किये जाने का आदेश प्रदान कराया जावे ।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर्ड किया जाकर वादीगण सोहनी व जमीन को तलब किया गया । बरोज पेशी वादीगण/विपक्षी की ओर से वकील श्री जगदीश मेनारिया ने उपस्थित देते हुए प्रार्थना पत्र के खण्डन मे जवाब प्रस्तुत किया गया कि प्रार्थना की चरण संख्या 1 व 2 प्रार्थी स्वंय साबित करें सही तो यह है कि वादिया का वाद उपखण्ड न्यायालय निम्बाहेडा से डिक्री किया गया है तथा राजस्व अपील प्राधिकारी द्वारा उक्त निर्णय को पुनः सुनवा जाकर निर्णीत किया जाने का आदेश प्रदान किया गया विधि अनुसार प्रतिवादी हरलाल के द्वारा उक्त वाद में काउन्टर क्लेम नहीं दिया गया तथा हरलाल के द्वारा पुनः वाद को सुनवाई हेतु काउन्टर क्लेम नहीं दिया गया न ही अन्तिम निर्णय हुआ तथा राजस्व अपील प्राधिकारी के आदेश की पालना नहीं हुई है इसलिए उक्त प्रार्थना पत्र में प्रार्थी कोई भी निर्णय पारीत नहीं करवा सकता है । अतः प्रार्थना पत्र सव्यय खारीज फरमाया जाव ।

विद्वान अधिवक्ताओं के तर्क सुने गये पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों , न्यायिक निर्णयों का अवलोकन से यह तथ्य प्रकाश में आते है कि वादिया सोहनी एवं जमनी ने उपखण्ड न्यायालय निम्बाहेडा के समक्ष वाद अन्तर्गत धारा 53, 88, 183, 188 के मौजा धनेत की आराजी. 287, 288/1, 298/3, 299, 305/1, 468 कुल किता 6 कु1ल रकबा 6 बीघा 16 बिस्वा 17 बिस्वा में 1/2 हिस्सा एवं आ0न0 414, 415, 436/1, 471, 472, 473, किता 6 बीघा 12 बिस्वा में 1/3 हिस्सा घोषित करा विभाजन हेतु प्रस्तुत किया गया जो दिनांक 29–12–1999 को बाद कार्यवाही प्राथमिक स्तर पर डिक्री किया तत्पश्चात् कमीशनर तहसीलदार भदेसर से प्राप्त विभाजन अनुसार प्रकरण को दिनांक 15–01–2001 को अन्तिम रूप से डिक्री किया गया जिसकी ईजराय की पालना में राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद हुआ । इन इन्द्राजात से पूर्व ही वादीया सोहनी बाई द्वारा पंजिकृत दस्तावेज दिनांक 12.10.1993 से मौजा धनेत की विवादित आराजीयात में से आ0न0 414, 415, 436/1 किता–3 कुल रकबा 6 बीघा 14 बिस्वा में 1/3 हिस्सा तथा चा0न0 411, 469 , 431 में से अपना हक हिस्सा प्रार्थी हरलाल पिता चुन्नीलाल जाट को विकय किया गया जिसका राजस्व रेकार्ड में अमल हो चुका था किन्तु न्यायालय उपखण्ड अधिकारी निम्बाहेडा के निर्णय दिनांक 15–01–2001 की ईजराय की पालना में प्रार्थी हरलाल पिता चुन्नीलाल जाट का नाम राजस्व रेकार्ड से विलोपित कर दिया गया । जिससे श्री हरलाल द्वारा सोहनी बाई से क्रय जमीन का जो उसके नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज थी उसका काल्पनिक रूप से हक अधिकारो वंचित कर दिया गया जबकि इस वाद में प्रार्थी हरलाल पिता चुन्नीलाल जाट पक्षकार भी नहीं थी अथवा जान बूझ कर प्रकरण पक्षकार संयोजित नहीं किया गया था । जिससे असन्तुष्ट होकर प्रार्थी हरलाल द्वारा उपखण्ड अधिकारी निम्बाहेडा के निर्णय दिनांक 29–12–1999 एवं निर्णय दिनांक 15–01–2001 की अपील माननीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी चित्तौडगढ में प्रस्तुत की जो उनके प्रकरण संख्या 204/2007 (अपील) एवं 231/2007 (अपील) पर पजिबद्ध होकर दिनांक 20.06.2012 को अपील अपीलार्थी स्वीकार होकर निर्णय दिनांक 29

Signature Not Verified
Digitally signed by Anju Sharma
Date: 2021.03.17 17:18:23 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
भदेसर, चित्तौडगढ

Scanned by CamScanner

12.99 व 15.01.2001 को निरस्त किया गया तथा प्रकरण रिमान्ड होकर व क्षेत्राधिकार परिवर्तन होने से न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भदेसर को वास्ते सुनवाई प्राप्त हुआ जो इस न्यायालय में प्रकरण संख्या 151/2012 पर पंजिबद्ध किया विधिवत सुनवाई प्रारम्भ की किन्तु प्रकरण में वादिया एवं उनके अधिवक्ता द्वारा उपस्थिती नहीं देने से प्रकरण अदम हाजरी अदम पैरवी में खारीज कर दिया गया । चूंकि माननीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी चित्तौडगढ द्वारा उपखण्ड न्यायालय निम्बाहेडा के निर्णय दिनांक 29.12.1999 व 15.01.2001 निरस्त कर दिये गये इस कारण इन निर्णयों की पालना में राजस्व रेकार्ड में किये गये अमल स्वतः ही शून्य होकर निष्प्रभावी चुके है तथा वादीया का वाद जो इस न्यायालय में रिमान्ड होकर प्राप्त हुआ था वह भी दिनांक 03–05–2017 को खारीज हो चुका है इस कारण प्रार्थी हरलाल जाट पुनः राजस्व अभिलेख में अपना नाम दर्ज कराने एवं राजस्व रिकार्ड की पूर्वास्थिति बहाल कराने के अधिकारी है ।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी श्री हरलाल पिता चुन्नीलाल जाट निवासी धनेत का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 144 जाप्ता दीवानी स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार भदेसर को निर्देशित किया जाता है कि मौजा धनेत की आ0न0 414, 415, 436/1 किता–3 कुल रकबा 6 बीघा 14 बिस्वा तथा चा0न0 411, 469 , 431 में उपखण्ड न्यायालय निम्बाहेडा के निर्णय डिक्री दिनांक 29.12.1999 एवं निर्णय डिक्री दिनांक 15–01–2001 की पालना से किए गए अमलदरामद निष्प्रभावी हो जाने पुनः दिनांक 15–01–2001 से पूर्व की स्थिति राजस्व रेकार्ड एवं खातें में अंकित की जावे ।

निर्णय खुले न्यायालय टंकित कराया जाकर सुनाया गया ।

(मांगीलाल रेगर)
उपखण्ड अधिकारी
भदेसर

उपखण्ड अधिकारी
भदेसर, चित्तौड़गढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Anju Sharma
Date: 2021.03.17 17:18:23 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner